

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।


(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की बैठक दिनांक-30.12.2024 के एजेन्डा सं0-4(1) के क्रमांक-18 पर स्थित KNG बैनर के अंतर्गत परमिट हेतु प्राप्त आवेदन एवं प्राप्त आपत्ति की सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया कि वाहन संख्या BR31P1659 का परिचालन स्कूल में किया जाता है। तदनुसार संबंधित प्राधिकार द्वारा उक्त वाहन का परमिट नियमानुसार रद्द करने की कार्रवाई हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को अनुशंसा प्राप्त है।

उपरोक्त के आलोक में संबंधित वाहन स्वामी को एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया, परंतु वाहन स्वामी द्वारा कोई स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-88 में निहित प्रावधान के आलोक में इस प्राधिकार से निर्गत परमिट सं0-BR2023-SC-1502A को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए टाईम स्लॉट को Free किया जाता है।


04.03.25

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक-.....124...../परि0,


दिनांक-.....04/3/2025.....

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक,

तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-संबंधित वाहन स्वामी को सूचनार्थ प्रेषित।


04.03.25

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।